

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर
एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 02/2019

शशीकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

वनाम
प्रार्थी,
रामवतार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स श्री बालाजी
मावा उद्योग, वार्ड नं० 6, रेवाडियों का मोहल्ला, फतेहपुरा, वासा, चौमू, जिला-
जयपुर निवासी-वार्ड न० 6, रेवाडियों का मोहल्ला, फतेहपुरा, जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51
एफएसएस एक्ट, 2006 नियम, 2011)

उपस्थिति:-

1. श्री शशीकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री प्रवीण पुरोहित अभियुक्त के अभिभाषक अनुपस्थित।


निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

यह परिवाद शशीकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक
30.10.2018 को मैसर्स श्री बालाजी मावा उद्योग, वार्ड नं० 6, रेवाडियों का मोहल्ला,
फतेहपुरा, वासा, चौमू, जिला-जयपुर का अभियुक्त रामवतार शर्मा की उपस्थिति में
दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर 30 किलोग्राम मावा
एल्यूमिनियम के एक भगोने में आम जनता को विक्रय करने के लिए तैयार कर
रखा हुआ था। इसमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 1 किलोग्राम मावा वास्ते
नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड
एवं क्रमांक ई-3612 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा
की कीमत अंके रूपये 170/- (अक्षरे रूपये एक सौ सत्तर मात्र) मौके पर
उपस्थित रामवतार शर्मा से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत
विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलोग्राम मावा की
जांच कराये जाने पर अमानक खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा
विक्रय हेतु रखे गये मावा को अमानक खाद्य पदार्थ पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अतः
धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज
रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित
अवसर प्रदान किया गया।

अभियुक्त के विद्वान् अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त
द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा
विधायका में संकलित नियमों के विपरीत खाद्य पदार्थ मावा की जांच की गई है।
शुद्ध दूध के मानक निर्धारित है जबकि मावा के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक
विनियम, 2011 में मानक निर्धारित नहीं है। जिसके कारण जांच पूर्णतया:




अवैधानिक है। मावा दूध से निर्मित एक Prepared and proprietary Food है, जिसमें प्रयुक्त दूध की जांच में मानक विनियम लागू नहीं किये जा सकते, क्योंकि मावा में प्रयुक्त दूध शुद्ध की परिभाषा में नहीं आता है। मावा में अन्य सामग्रियां भी प्रयोग में लाई गई हैं। जबकि दूध के मानक विनियम उक्त मावा में प्रयुक्त दूध पर लागू नहीं होते हैं। प्रकरण में एक मात्र मानक बी.आर. रिडिंग 40 डिग्री C (40-43) के आधार पर मावा को अमानक घोषित किया जाना नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः परिवाद खारिज किया जावे।

अभियुक्त स्वयं अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी। दौराने बहस परोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के अनुसार तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 एवं एफएसएस/2015/848 दिनांक 06.11.2015 के अनुसार आवंटित कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मैसर्स श्री बालाजी मावा उद्योग, वार्ड नं० 6, रेवाडियों का मोहल्ला, फतेहपुरा, बासा, चौमू, जिला- जयपुर के यहां पर निरीक्षण हेतु पहुंचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में 30 किलोग्राम मावा आम जनता को विक्रय करने हेतु तैयार कर रखा गया था। जिनमें गुणवत्ता की कमी का/अमानक होने का शक होने पर नमूना जांच हेतु हिला मिला कर 1 किलोग्राम मावे को खरीद कर सील बन्द कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एलएस/1945/एक्ट/2018/1436 दिनांक 14.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सब-स्टैंडर्ड फूड होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 51 के तहत निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

हमने प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा० पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं:-

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आवंटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 एवं एफएसएस/2015/848 दिनांक 06.11.2015 की प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2018 को नमूने के लिए क्रय किये 1 किलोग्राम मावे के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 30.10.2018 को दिये गए केश-मीमो दिनांक 30.10.2018 की प्रति जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्त के हस्ताक्षर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
5. खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु नमूना भिजवाने के लिए तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रति प्राप्त की रसीद।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।




7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 14.11.2018 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना अंकित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते हैं कि अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ मावा उपलब्ध था जिसमें खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार फेट की मात्रा निर्धारित 30 प्रतिशत के स्थान पर 8.39 प्रतिशत पायी गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूना लिये गये मावे को अमानक खाद्य पदार्थ पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुये अभियुक्त के कृत्य के लिये रूपये 50,000 (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते हैं और यह आदेश देते हैं कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.02.2021 को सुनाया गया।




26.2.21
(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला नजिराट,
(चतुर्थ), जयपुर